

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी एटा।

पत्र संख्या- पेट्रो-एफ0एस0-02/सी0एफ0ओ0/15(कासगंज)

दिनांक 22/9/15

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
कासगंज।

विषय: ग्राम अथैया तहसील व जनपद कासगंज के गाटा संख्या 242 एस ए सिकन्दराराऊ से कासगंज रोड पर भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0 को नये रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु जॉच आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: आपका पत्रांक-4042 / न्याय सहायक (द्वितीय)-2015

दिनांक: 11.09.2015

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। जिसके माध्यम से ग्राम अथैया तहसील व जनपद कासगंज के गाटा संख्या 242 एस ए सिकन्दराराऊ से कासगंज रोड पर नये रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अग्निशमन आख्या प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस सम्बन्ध में प्रश्नगत स्थल का प्रस्तुत किये गये मानचित्रों के साथ निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन अधिकारी कासगंज श्री सुरेन्द्र कुमार दोहरे द्वारा कराया गया तो उनकी आख्या दिनांक 21.09.2015 के अनुसार प्रश्नगत स्थल सिकन्दराराऊ से कासगंज रोड पर माइलेज संख्या 23.182 मीटर पर स्थित है। जो मानचित्र के अनुरूप है प्रश्नगत स्थल के सामने सड़क की चौड़ाई 30 मीटर जिसमें पक्की(डावरीकरण) सड़क की चौड़ाई 7 मीटर है। प्रस्तावित स्थल तक फायर सर्विस के वाहन सुगमता से आ जा सकते हैं। वर्तमान में प्रश्नगत स्थल के सामने एवम स्थल के ऊपर से कोई भी हाईटेंशन/लोटेन्शन विद्युत लाइन नहीं गुजर रही है। प्रश्नगत स्थल पर रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु प्रस्तुत किये गये मानचित्रों में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थायें पेट्रोलियम रूल्स के अनुरूप है। प्रश्नगत स्थल पर प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु अग्निशमन संस्तुति अग्निशमन अधिकारी कासगंज द्वारा की गयी है।

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये मैंसर्स भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0 को प्रश्नगत स्थल गाटा संख्या-242 एस ए पर नये रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु आख्या निम्न प्रतिबन्धों के साथ निर्गत की जाती है।

1. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सभी निर्माण कार्य पेट्रोलियम एक्ट 1934 एवं सम्बन्धित पेट्रोलियम रूल्स -2002 एवं रिटेल आउटलेट विषयक संशोधित विधियों एवं तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि ने उल्लेखित विधि के अनुरूप ही किया जायेगा।
2. प्रस्तावित स्थल के ऊपर से किसी प्रकार की कोई हाईटेंशन/लोटेन्शन विद्युत लाइन नहीं गुजर रही है।

अग्निशमन प्रबंधक रिटेल मथुरा  
पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड  
प्लॉट डी-1, रोड नं 26, इंडस्ट्रियल एरिया,  
साइट-बी, पो. रिफाइनरी, मथुरा-281005

3. प्रस्तावित स्थल पर मानचित्रों में दर्शाये गये पेट्रोलियम पदार्थ के अतिरिक्त अन्य किसी ज्वलनशील पदार्थ का भण्डारण नहीं किया जायेगा।
4. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के निर्माण के उपरान्त प्रश्नगत स्थल पर किसी ऐसे पदार्थ जो चिनगारी/अग्नि उत्पन्न करते हो का प्रयोग वर्जित होगा तथा इसके लिए समुचित सुरक्षा के उपाय किये जायेंगे।
5. प्रस्तावित स्थल पर धुम्रपान निषेध बोर्ड एवं आग से सावधानी के संसूचक एवं आपातकालीन टेलीफोन नं० की सूची को दर्शाना होगा।
6. प्रस्तावित स्थल पर समुचित अग्निशमन व्यवस्था ओ०आई०एस०डी० स्टेण्डर्ड, पेट्रोलियम रूल्स एवं तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी उल्लेखित विधि के अनुरूप की जायेगी। अतः प्रश्नगत स्थल पर रिटेल आउटलेट का उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप निर्माणोपरान्त एवम स्थल पर प्रस्तावित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं को पूर्ण कर संचालन हेतु इस शर्त पर संस्तुति सहित आख्या निर्गत की जाती है कि व्यवस्थापक द्वारा स्थल पर अग्निशमन व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखेंगे अन्यथा अग्निशमन व्यवस्था के अकार्यशील होने की दशा में निर्गत की गई आख्या स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
- 7- प्रस्तावित रिटेल आउटलेट को संचालित करने से पूर्व उपरोक्त व्यवस्थायें पूर्ण कराकर स्थानीय अग्निशमन विभाग से निरीक्षण कराकर पुनः आख्या लेना अनिवार्य होगा।

19/9/15  
(जे०एन० दोहरे)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी,  
राज्य अग्निशमन अधिकारी,  
एटा।

प्रतिलिपि: अग्निशमन अधिकारी, जनपद कासगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

*Mahesh Kumar*  
प्रादेशिक प्रबंधक (रिटेल) मथुरा  
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड  
प्लॉट डी-1, रोड नं० 26, इंडस्ट्रियल एरिया,  
साइट-बी, पो. रिफाइनरी, मथुरा-281005